संख्या-20/2019/405/46-1-19-20(25)/2017

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2019

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू. 800.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं-28/2018/1086/4-1-18-20(25)/2017, दिनांक 05.6.2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में निर्गत 50 प्रतिशत धनराशि रू. 400.00 लाख के फलस्वरूप अवशेष धनराशि रू. 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू. 98.40 लाख (रूपये अठठानवे लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में संलग्नक में दिये विवरण के अनुसार आहरित करने एवं निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0303-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को सहायता-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-267(I)/दस-2019, दिनांक 30 मार्च, 2019 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2019/405(1)/46-1-19-20(25)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-20/2019/405(2)/46-1-19-20(25)/2017, दिनांक 30 मार्च, 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

1	2	3	4	5
	20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत मद/कार्य	**कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मदवार फॉट**	**प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी धनराशि**	**द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि**
1	विद्युत व्यय	130.00	65.00	50.12
2	प्रयोगशाला आपरेशन	35.00	17.50	16.88
3	सम्परीक्षा शुल्क	29.75	14.00	12.97
4	उपकरण कृषि यंत्र एवं शोध जनर्ल्स	92.85	47.00	12.05
5	सेन्टर फार शुगरकेन बायोटेक्नोलोजी एवं चीनी उत्पादकता के परिप्रेक्ष्य में क्यू.टी.एल. विश्लेषण।	12.00	6.00	5.55
6	गन्ना उपज एवं चीनी परता में वृद्वि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों के स्तर का प्रबन्धन	5.00	2.50	00.83
	योग-	**304.60**	**152.00**	98.40

(रूपये अठठानवे लाख चालीस हजार मात्र)

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है